01/3/21 प्र. फा. उपस्थित वकील उभय पक्षकार
की सुनी गई पत्रावली एवं
पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया जिसमें प्रार्थी के
नाम इन्द्राज विवादित खसरा नं है
एवं वर्तमान में 88 वर्ष से काबिज है
के नाम ही है जिस प्रकरण स्वयं
से पूर्ण है अतः प्रार्थी
स्वयं न्यायालय के चारागोही
के [illegible] प्रार्थीगण कायमी जानी चाहिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 10:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

9/6/2008

फर्द अहकाम

सरकार बनाम भागवती देवी

नाम न्यायालय

केस संख्या 18/2004 प्रा. पत्र 175 R.T. Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदारी भूमि ख.न. खातेदारी भूमि 58 वर्ष व्यक्तियों के नाम से शामिल शिकायत दर्ज है जिससे प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 175 R.T. Act का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 175 R.T. Act का अस्वीकार किया जाकर पोषणीय (maintainable) नहीं होने कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2021.04.09 10:01:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner